असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

09 जुलाई, 2019

बनाया गया था, काम को तुरत चालू करने के लिए 9 साल से अभी तक बिल्डिंग का एक टेंडर भी निरस्त नहीं करके और फ्रेश टेंडर अभी तक नहीं कर पाए हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे हैं कि 9 साल से लंबित है और आपने कहा है कि बचे हुए काम का टेंडर करके, एग्रीमेंट कर दिया गया है वह इस बार कम से कम समय सीमा के अंदर पूरा हो जाय, उसकी ताकीद रखिये।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : ठीक है ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा एक मामला है । मैं एक विद्यालय के लिए माननीय मंत्री जी से मिला था ।

अध्यक्ष : सरोज जी, आपके मिलने से कोई मतलब नहीं है । सरोज जी, माननीय मंत्री जी ने राहुल जी को कहा था मिलने के लिए, आप क्यों मिल लिए ?

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी तक उस विद्यालय में पढ़ाई नहीं शुरु हुआ है 10 साल से वह पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : आप लिख कर दे दीजियेगा, आपका काम बिना मिले होगा ।

श्री कृष्णनंद प्रसाद वर्मा, मंत्री : आपकी अगर कोई कठिनाई है तो आप उसको लिखकर हमको दे दीजियेगा ।

अध्यक्ष : फिर आप उनका जवाब देने लगे, आपको अरुण कुमार जी का जवाब देना है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 521 (श्री अरुण कुमार)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनॉक 10-05-2019 के आदेश के तहत विभागीय आदेश ज्ञापॉक 2253 दिनॉक 26-09-2017 को निरस्त किया गया है, उक्त न्याय निर्णय के अनुपालनार्थ संगत नियोजन नियमावली 2006 के नियम-8 के अनुसार शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण किया जाना है । न्याय निर्णय के आलोक में शिक्षकों की आपसी वरीयता के निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । उक्त न्याय निर्णय में सेवा शर्त के निर्धारण पर कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

श्री अरुण कुमार : महोदय, उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि नियुक्ति की वरीयता के अनुसार उनको सब लाभ मिलना चाहिए लेकिन अभी तक न नियमावली सरकार ने बनायी है और न कार्रवाई की है, कबतक नियमावली बनाकर सरकार उन टीचर्स को लाभ देगी । यही, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्री जी बतावें कि कब उनको, टीचर को लाभ देंगे ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को मैंने बताया कि यह जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुपालन की कार्रवाई उसके आलोक में की जायेगी लेकिन न्याय निर्णय के आलोक में शिक्षकों के आपसी वरीयता के निर्धारण की कार्रवाई

प्रक्रियाधीन है और उक्त न्याय निर्णय में सेवा शर्त के निर्धारण पर कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 522(सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारातमक है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी, कोढ़ा के न्यायालय में अतिक्रमण विविध वाद संख्या 13/16 दायर किया गया है । अंचलाधिकारी, कोढ़ा के न्यायालय में विविध विवाद संख्या 13/16 के निष्पादनोपरांत चहारदिवारी का निर्माण कराया जायेगा ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सही बोल रहे हैं लेकिन यह काफी दिनों से यह मामला चल रहा है । अगर मत्री महोदय जी चाहेंगे तो जल्द बन जायेगा, क्योंकि धीरे धीरे चारों तरफ से, वहॉ घर बना हुआ है और कई घर ऐसे है जो जमीन को दाबते जा रहे हैं, जिसके कारण वहॉ का जो मैदान है, उसमें बालिकाएं पढ़ती है, वह धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है अगर माननीय मंत्री जी समय सीमा के अंदर उसका निराकरण कर दें और घेराबंदी आपके माध्यम से जल्द से जल्द हो जाय तो अच्छा होगा क्योकि वहॉ लड़कियॉ पढ़ती हैं और परेशानी हो रही है ।

अध्यक्ष : वही बात आ गयी मंत्री जी समय सीमा ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : आज तो समय सीमा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है ।

अध्यक्ष : समय सीमा का वेताल हमेशा डाल पर पहुंच जाता है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या ने जिन सवालों को उठाया है यह कोई उनका अकेले का सवाल नहीं है । ऐसी स्थिति बहुत जगहों पर होगी । माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे चूँकि स्थानीय स्तर पर कुछ दबंग किस्म के लोग विद्यालय की जमीन का अतिक्रमण कर लेते हैं फिर उसको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होता है । अंचलाधिकारी के यहॉ वाद है और हम प्रयास करेंगे कि वह विवाद का हल जल्दी आ जाय ताकि निर्माण का काम शुरु हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, विद्यालय की जमीन चाहे कितना भी दबंग या कोई भी हो अगर अतिक्रमण करता है तो उसको सख्ती से निपटना चाहिए । विद्यालय की जमीन तो पूरी मुस्तैदी से खाली करायी जानी चाहिए ।